UPET010092032016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय एटा।

उपस्थित – कैलाश कुमार , एच जे एस **जे0ओ0नं0 यू.पी.1684**

सत्र परीक्षण सं0– 558 /2016

राज्य ––––––––––बनाम–'–––––––––किताब सिंह आदि।
धारा–302,328,120 बी,भा0द0स0
थाना–कोत0 देहात ,एटा
अ0स0–547/2016

18.08.2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र 21 अ एवं आपत्ति 35 अ–

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 21 अ एवं आपत्ति 35 अ के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 21 अ वादी/अभियोजन की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उक्त वाद का वादी है तथा मृतक रजनेश का पिता है। प्रार्थी ने उपरोक्त घटना की एक रिपोर्ट अ0स0 547/2016 पर अन्तर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0द0स0 थाना कोतवाली देहात एटा पर अभियुक्तगण किताब सिंह , रूम सिंह , पिंकी , अवधेश, को नामित करते हुए दिनांक 28.08.2016 को दर्ज करायी थी। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण पिंकी व अवधेश से साज करते हुए केवल आरोपपत्र धारा 302, 328,120बी. भा0द0स0 में किताब सिंह व रूम सिंह के विरूद्ध ही माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है जबकि सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्पूर्ण साक्ष्य थी। प्रार्थी/वादी बलवीर सिंह व साक्षी सतीश चन्द्र के बयान माननीय न्यायालय में अंकित किये जा चुके है। प्रार्थी/वादी व साक्षी ने अपने बयान में सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध गवाही दी है तथा वादी एवं साक्षी से जिरह भी पूर्ण हो चुकी है। अभियुक्तगण पिंकी पत्नी अवधेश व अवधेश पुत्र शिव सिंह निवासी भोजपुर थाना पिलुआ जिला एटा को न्यायहित में अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमानजी से

प्रार्थना है कि अभियुक्तगण पिंकी पत्नी अवधेश एवं अवधेश पुत्र शिव सिंह निवासी भोजपुर थाना पिलुआ जिला एटा को अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 में बतौर अभियुक्तगण विचारण हेतु तलब करने की कृपा करें।

अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 35 अ इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी/वादी का उपरोक्त 319 द0प्र0सं0 का कथन सं01 सही है जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी/वादी का उपरोक्त प्रार्थनापत्र का कथन सं02 भी सत्य है। प्रार्थी/वादी का कथन सं03 पूर्ण रूप से गलत है जबकि सत्य यह है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को रंजिशन पुलिस द्वारा झूठा फसाते हुए कोई चश्मदीद साक्षी न होने के बावत भी प्रार्थी/अभियुक्त किताब सिंह व रूम सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष वादी से साज करते हुए प्रेषित कर दिया गया । वादी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र का कथन सं04 भी पूर्ण रूप से असत्य है बल्कि सत्य यह है कि वादी बलवीर व साक्षी सतीश जो कि न्यायालय में बयान अंकित करा चुके है वह उक्त घटना के चश्मदीद साक्षी भी नही है व घटना के चश्मदीद साक्षी न होने के आधार पर साक्षीगण के साक्ष्य निराधार व अविश्वसनीय समझे जाने योग्य है। साक्षीगण बलवीर व सतीश की प्रति परीक्षा में भी कहीं पिंकी पत्नी अवधेश व अवधेश पुत्र शिव सिंह निवासी भोजपुर थाना पिलुआ के द्वारा घटना कारित करना नहीं बताया गया है न पिंकी व अवधेश का कोई रोल उक्त घटना में बताया गया है। उपरोक्त घटना के मृतक रजनेश को जीवित हालत मे उपचार हेतु जिला अस्पताल एटा में भी अभियुक्त किताब सिंह के भाई आनन्द पुत्र केहरी सिंह निवासी ग्राम नगला धनी थाना कोतवाली देहात एटा द्वारा दिनांक 27.08.2016 को भर्ती कराया गया व दौरान इलाज सुबह 6.50 बजे रजनेश की मृत्यु हो गयी , जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के परिवारीजन द्वारा मृतक को मारने का नहीं बल्कि बचाने का भरपूर प्रयास किया गया । उक्त घटना की रिपोर्ट वादी द्वारा जानबूझकर दवाब बनाने के उद्देश्य से प्रार्थी/अभियुक्तगण से धन अर्जित करने के इरादे से कानूनी सलाह लेने के पश्चात घटना के एक दिन पश्चात देरी से थाने पर दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना स्वंतत्र साक्षीगण के बयान व पी0डब्लू02 साक्षी सतीश के दौरान विवेचना दिये गये बयान के आधार पर भी उक्त घटना एक आत्महत्या है व उक्त घटना से प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित पिंकी प पिंकी के पति अवधेश का कोई लेना देना भी नहीं है। स्वतंत्र

साक्षीगण के साक्ष्य अनुसार घटना की दिनांक 27.08.2016 को प्रार्थी/अभियुक्तगण के दामाद अवधेश व पुत्री पिंकी अपने ग्राम भोजपुर थाना पिलुआ जिला एटा में थे। उक्त घटना में पी0डब्लू01 बलवीर सिंह व पी0डब्लू02 सतीश की प्रति परीक्षा में भी उक्त घटना में प्रार्थी/अभियुक्तगण के दामाद अवधेश व पुत्री पिंकी का सम्मिलित होना नहीं बातया गया है, बल्कि पी0डब्लू02 सतीश द्वारा अपने दरोगाजी को दिये गये बयान को स्वीकार भी किया गया है जिसके अनुसार रजनेश की हत्या नहीं की गयी है बल्कि रजनेश ने स्वंय अपनी पत्नी के घर वापस न लौटने पर कुछ विषैला पदार्थ खाकर आत्म हत्या की थी। हॉस्पीटल की भर्ती स्लिप के अनुसार मृतक को मृतक के ससुरालीजन प्रार्थी/अभियुक्तगण किताब सिंह व किताब सिंह के सहयोगी आनन्द द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है व दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण के दामाद अवधेश व पिंकी का अपने घर ग्राम भोजपुर थाना पिलुआ होना बताया गया है जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के दामाद अवधेश व पुत्री पिंकी का उपरोक्त घटना से कोई लेना देना व सरोकार न होने के बाद भी रंजिशन वादी द्वारा पैसे वसूलने की नीयत से प्राथ्री/अभियुक्तगण के दामाद अवधेश व पुत्री पिंकी को नाम रंजिशन एफ0आई0आर0 मे नामित करा दिया गया जो कि दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर गलत पाते हुए विवेचक द्वारा नामजदगी झूठी कर दी गयी। दौरान विवेचना के स्वतंत्र साक्षीगण व पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 की प्रतिपरीक्षा के आधार पर भी प्रार्थी/अभियुक्तगण की पुत्री पिंकी व दामाद अवधेश के विरूद्ध धारा 319 द0प्र0स0 के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थनापत्र हर प्रकार से निराधार होने के चलते निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/वादी का उपरोक्त धारा 319 द0प्र0सं0 का प्रार्थनापत्र साक्ष्य व तथ्यो के आधार पर निरस्त किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत तहरीर दिनांकित 28.08.2016 के माध्यम से थाना कोतवाली देहात एटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0द0स0 आरोपी किताब सिंह, पिंकी, अवधेश तथा रूम सिंह के विरूद्ध इस आधार पर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 26.08.2016 को वादी का लडका रजनेश अपनी पत्नी संध्या को

बुलाने नगला धनी गया था तथा 27 व 28 अगस्त 2016 की रात्रि 1.00 बजे उसे सूचना मिली कि उसके पुत्र रजनेश की मृत्यु हो गयी है तथा शव जिला अस्पताल एटा में रखा है ,वहां पहुंचने पर पाया कि लडके की लाश तो है परन्तु, ससुरालीजन में से कोई नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र रजनेश की हत्या किताब सिंह, उसकी लडकी पिंकी व दामाद अवधेश तथा किताब सिंह के भाई रूम सिंह के द्वारा षडयंत्र के तहत विषाक्त पदार्थ खिलाकर कर दी है। इस मामले की विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोपपत्र मात्र किताब सिंह, व रूम सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0द0स0 में प्रस्तुत किया गया तथा आरोपी अवधेश तथा पिंकी के विरूद्ध किसी भी अपराध की पुष्टि नहीं पायी गयी।

अभियुक्तगण किताब सिंह व रूम सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0द0स0 में संज्ञान लेकर आरोप विरचित किये गये तथा विचारण में अब तक दो साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये जा चुके हैं ,जिनमें अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 बलवीर सिंह तथा पी0डब्लू02 सतीश को परीक्षित कराया गया है, जिनसे प्रतिपरीक्षा भी पूर्ण हो चुकी है तथा इस स्तर पर अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा319 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपराध में आरोपी पिंकी तथा अवधेश की सक्रिय भूमिका है अतः उन्हे भी विचारण हेतु तलब किया जाये।

मेरे द्वारा समस्त केस डायरी तथा अब तक अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियो के बयानो का परिशीलन किया गया। केस डायरी के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी बलवीर तथा सतीश चन्द्र की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में अपने बयान पुलिस के समक्ष अंकित कराये गये है परन्तु, स्वतंत्र साक्षियो में सतीश चन्द्र ,अनिल कुमार, मुनीष कुमार , कृपाशंकर , श्यामलाल ,दीवानचन्द्र तथा मृतक की पत्नी संध्या के बयानो का परिशीलन किया और यहां यह उल्लेखनीय है कि ये सभी व्यक्ति आरोपपत्र के सूची गवाहान में भी दर्ज हैं, इन उपरोक्त व्यक्तियो के बयानो से यह तथ्य उभरकर आया है कि आरोपी पिंकी तथा अवधेश मृतक की पत्नी संध्या की बहन तथा बहनोई है और वे घटना स्थल पर घटना के दिन उपस्थित नहीं थे। उक्त के अलावा अभी तक जो गवाह अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये है, उनके बयानो का गहन परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि ना तो वादी पी0डब्लू01 बलवीर सिंह

और ना ही पी0डब्लू02 सतीश मृतक रजनेश का बहनोई ही घटना के दिन स्थान व समय पर मौजूद था। इनके बयानो में यह भी आया है कि इन्हे कुछ लोगो के द्वारा बताया गया उसी के आधार पर वादी के द्वारा यह माना गया कि उनके पुत्र रजनेश को चार लोगो जो एफ0आई0आर0 में नामित है, द्वारा विषाक्त पदार्थ खिलाकर मार दिया गया है।

अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 में किसी भी प्रस्तावित अभियुक्त को तलब करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओ में कुछ दिशानिर्देश पारित किये है, उन विधि व्यवस्थाओ में से निम्नलिखित ,विधि व्यवस्थाओ में प्रतिपादित सिद्धान्तो का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है।

MICHAEL MACHADO VS CBI, 2000(3) SCC 262. power u/s 319 crpc to summons a person as accused should be exercised sparingly keeping in mind all the attending circumstances and only if compelling reasons exist for taking cognizance against the person other than the accused.

HARDEEP SINGH VS STATE OF PUNJAB AND ORS 2014 CRI.L.J 1118 (SC). The degree of satisfaction that will be required for summoning a person u/s 319 cr.p.c. would be the same as for framing a charge. The difference in the degree of satisfaction for summoning the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it is in the course of such trial that materials are disclosed against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial, therefore the degree

of satisfaction for summoning the accused (original and subsequent) has to be different.

प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ मे प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तो को यदि इस केस में लागू किया जाये तो यहां स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 ने अपने बयानो में स्वयं स्वीकारा है कि वे घटना के दिन स्थान व समय पर मौजूद नहीं थे तथा कुछ व्यक्तियो के द्वारा उन्हे बताया गया कि उसके पुत्र रजनेश को प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित चारो व्यक्तियों द्वारा विषाक्त पदार्थ खिलाकर मार दिया गया है जो कि एक अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी का है। मृतक रजनेश की बतायी गयी पत्नी संध्या का अभी बयान शेष है तथा स्वतंत्र साक्षी सतीश, अनिल, मुनेश, आदि जिनका नाम आरोपपत्र की गवाह सूची में भी दर्ज है ,का बयान होना भी अभी शेष है तथा चिकित्सक या एटा अस्पताल के कर्मचारियो का बयान तथा उस सम्बन्ध में अस्पताल में दर्ज रिकार्ड भी अभी साबित होना शेष है जिससे यह पता लगाया जा सके कि रजनेश को कौन अस्पताल में इलाज हेतु लाया था। उपरोक्त अभियोजन के परीक्षित साक्षियो के बयानो के आधार पर अभी इस स्तर का साक्ष्य यह न्यायालय नहीं पाता है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण पिंकी तथा अवधेश को विचारण हेतु तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है तथा प्रस्तावित व्यक्तियो को यदि विचारण हेतु तलब किया जाये तो उनकी दोषसिद्धि की प्रबल सम्भावना है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदुनसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21 अ अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक को पेश हो।

(कैलाश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय द्वितीय,एटा।

दिनांक– 18.08.2022

Digitally signed by Kailash Kumar
Date: 2022.08.18 16:53:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court